MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/चिकित्सा/2020/ 3062 दिनांक 23 मार्च, 2020

:: आदेश ::

कोविड़–19, कोरोना वॉयरस के संक्रमण से बचाव, नियंत्रण, उपचार के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो तथा **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957"** में प्रदत्त शक्तियो तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांकः एफ.9(58)M&H/2/09/पार्ट दिनांक 12/03/2020 से प्रदत्त शक्तियो के तहत निम्नांकित संस्थाओ/उद्योगो के भवनो एवं परिसर को निम्नलिखित शर्तो के अधीन तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अधिग्रहित किया जाता हैं तथा उपलब्ध समस्त संसाधन/सुविधाओ सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को सुपुर्द किया जाता हैं –

क्0सं0	संस्थान/उद्योग का नाम	भवन का विवरण
1.	बी0एस0एल0 मण्डपम, भीलवाडा	गेस्ट हाउस मय परिसर, मण्डपम, भीलवाडा
2.	आर0एस0डब्ल्यू0एम0, गुलाबपुरा	गेस्ट हाउस मय परिसर, गुलाबपुरा
3.	संगम यूनिवर्सिटी, आटूण, भीलवाड़ा	गेस्ट हाउस मय परिसर, आटूण, भीलवाड़ा
4.	जिन्दल शॉ लि0, भीलवाड़ा	गेस्ट हाउस मय परिसर, तिरंगा पहाडी के पास, पुर, भीलवाड़ा
5.	फैशन सूटिंग्स (आर0सी0एम0 वर्ल्ड), ग्रोथ सेन्टर, रीको, चितौडगढ़ रोड़, हमीरगढ़	गेस्ट हाउस मय परिसर, ग्रोथ सेन्टर, रीको, चितौडगढ़ रोड़, हमीरगढ़
6.	नितिन स्पिनर्स, हमीरगढ़	गेस्ट हाउस मय परिसर, हमीरगढ़

शर्ते –

1. अधिग्रहित भवन/परिसर के प्रबन्धक/संचालक द्वारा स्वयं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा की टीम के साथ उपस्थित होकर अधिग्रहित भवन एवं परिसर की सुपुर्दगी के समय समय एवं अधिग्रहित अवधि के दौरान नियमित रूप से बिजली, पानी आदि आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायीं जावेगी।
2. आयुक्त नगर परिषद भीलवाड़ा एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति, सुवाणा द्वारा चिकित्सा अधिकारियो के निर्देशन में अधिग्रहित भवन एवं परिसर की दैनिक साफ–सफाई करवाये जाने की सुनिश्चित की जावेगी। साथ ही स्वयं द्वारा दैनिक रूप से अधिग्रहित भवनो की साफ–सफाई का सतयापन किया जावेगा।
3. अधिग्रहित भवन एवं परिसर को पुनः सुपुर्दगी के समय चिकित्सा विभाग द्वारा वि–संक्रमित करने के उपरान्त ही संबंधित संस्था को सुपुर्द किया जावेगा।

संबंधित संस्थान/उद्योग के प्रबंधक/संचालक को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही/उदासीनता, देरी नहीं की जावे। अधिग्रहित भवन/परिसर का कब्जा आज ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

2

Scanned by CamScanner

भीलवाड़ा के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया जावे। उक्त आदेश की पालना का पूर्ण उत्तरदायित्व महा–प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा का होगा।

आदेश की अक्षरशः पालना सभी संबंधित द्वारा की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. उप महानिरीक्षक, अजमेर रैंज, अजमेर
4. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
5. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
6. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा/हमीरगढ़/माण्डल/गुलाबपुरा को समन्वय एवं आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि संबंधित से आवश्यक समन्वय स्थापित कर निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही/व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर अवगत करावे।
9. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
10. महा–प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा को पालनार्थ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा तथासभी संबंधित से सम्पर्क एवं समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करावे।
11. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा
12. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
13. प्रबन्धक एवं संचालक, समस्त संस्थान/उद्योग, जिला भीलवाड़ा द्वारा महा–प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner